

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक 7-12-17

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0-15626 / राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा दिनांक 12.12.2017 एवं 13.12.2017 को आयोजित सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत सहायकों की प्रथम एवं द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा-2017 के दौरान राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना केन्द्र पर वीक्षण कार्य करने हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित 06 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है:-

| क्रम सं० | पदाधिकारी का नाम एवं कोटि कमांक | वर्तमान पदस्थापन   | मोबाईल नं० |
|----------|---------------------------------|--|------------|
| 1        | 2                               | 3  | 4          |
| 1        | श्री कमलेश सिंह, 659/11         | विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।  | 9334473045 |
| 2        | श्री राजेश परिमल, 902/11        | उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।  | 8986922279 |
| 3        | श्री संजय कृष्ण, 908/11         | उप सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना ।  | 9931429353 |
| 4        | श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, 924/11 | वरीय प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्टेट सोसाईटी फॉर आल्टा पुअर एंड सोशन वेलफेयर, समाज कल्याण विभाग, पटना । | 9006363127 |
| 5        | श्री रजनीश कुमार, 936/11        | उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।   | 9470450023 |
| 6        | श्री विनय कुमार ठाकुर, 1011/11  | सहायक निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ।                            | 9431070644 |

2. उपर्युक्त कमांक 1 से 4 पर अंकित पदाधिकारियों को दिनांक 12.12.2017 एवं 13.12.2017 के लिए एवं कमांक 5 एवं 6 पर अंकित पदाधिकारियों को दिनांक 13.12.2017 के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

3. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के दिशा-निर्देश के अनुसार वीक्षण कार्य करेंगे तथा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।

(राम विशुन सरय)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0-15626/पटना, दिनांक-7-12-17

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव